R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 12
जून 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना की योजना शुरू

रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2016 को 'दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना की योजना' पर दिशानिर्देश जारी किए जिससे कि दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए उधारदाताओं की क्षमता को और सुदृढ़ किया जा सके तथा वास्तविक कठिनाइयों का सामना करने वाली संस्थाओं की वित्तीय संरचना में सुधार करने का अवसर उपलब्ध कराकर वास्तविक आस्तियों को फिर से ट्रैक पर लाया जा सके।

गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे बड़े उधार लेखों के समाधान के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, समन्वित गहन वित्तीय पुनर्संरचना की आवश्यकता है जिसमें प्रायः ऋण मूल्य काफी कम करना और/या बड़े प्रावधान करना शामिल है। प्रायः इस प्रकार बड़ी मात्रा में ऋण का मूल्य कम करने से ऋणदाता हतोत्साहित हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप दबाब महसूस करने वाले उधारों की देयता संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हो पाता है। बैंकों ने विनियामकीय ढांचे के लिए भी अभ्यावेदन किया है जो ढांचा वर्तमान में इन कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले आस्ति गुणवत्ता दबाव के संदर्भ में ऋणदाताओं की देयता संरचना में संशोधन करने की कार्रवाई शुरू करने की सुविधा देगा जिन कंपनियों में उनका एक्सपोजर काफी अधिक है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं से इस संबंध में परामर्श के पश्चात उन बड़े दबाबग्रस्त लेखों के समाधान के एक विकल्प के रूप ''दबाबग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना की योजना'' (एस4ए) तैयार की जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:-

- परियोजना ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिए हैं;
- लेखे में सभी संस्थागत उधारदाताओं का कुल एक्सपोज़र (उपचित ब्याज सहित) ₹500 करोड़ (रुपया ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण/बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित) से अधिक है;
- ऋण संधारणीयता के परीक्षण को पूरा करता है।

एस4ए दबाबग्रस्त ऋणदाता के लिए धारणीय ऋण के स्तर का निर्धारण करने और बकाया ऋण को धारणीय ऋण और इक्विटी/ अर्ध - इक्विटी लिखतों में बांटने की परिकल्पना करता है जिससे कि उधारकर्ता के मुकरने पर ऋणदाता लाभ की स्थिति में बना रहे।

यह सुनिश्चित करने कि पूरी कार्रवाई एक पारदर्शी और विवेकपूर्ण तरीके से हो, एस4ए में परिकल्पना की गई है कि समाधान योजना विश्वसनीय पेशेवर एजेंसियों द्वारा तैयार कराई जाएगी, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श से, भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित प्रख्यात विशेषज्ञों वाली निगरानी समिति इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों की तर्कसंगतता और उनका पालन करने के लिए एस4ए के अंतर्गत समाधान योजना को तैयार करने संबंधी प्रक्रिया की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करेगी तथा इस पर अपनी राय देगी। यह परिकल्पना की गई है कि समाधान योजना में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएं:

- ऋण के ब्याज या मूलधन की चुकौती के लिए कोई नया ऋणस्थगन नहीं दिया जाना चाहिए।
- इस समाधान प्रक्रिया से पहले की भुगतान समयावधि और ब्याज दर की तुलना में ऋण की चुकौती के लिए भुगतान समयावधि में विस्तार या ब्याज दर में कमी नहीं की जानी चाहिए।
- आस्ति को इक्विटी/शोध्य संचयी वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अधिमान्य शेयरों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तथापि, जिन मामलों में समाधान योजना में प्रवर्तक में बदलाव नहीं होता है तो बैंक अपने विवेक से आस्ति के एक भाग को भी वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों में परिवर्तित कर सकते हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10446&Mode=0)

भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया है कि वे 30 सितंबर 2016 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण प्रोफार्मा 30 नवंबर 2016 तक प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करें। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण प्रोफार्मा में (क) तुलन पत्र जिसमें इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, (ख) लाभ और हानि खाता और (ग) टिप्पणियां शामिल होंगी।

शुरू में, उन बैंकों को केवल एकल वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई जो 30 सितंबर 2016 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए एकल और समेकित दोनों प्रकार के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण प्रोफार्मा प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, बाद की अवधियों में बैंकों को एकल और समेकित दोनों प्रकार के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण प्रोफार्मा प्रस्तुत करने होंगे। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटन भी करें जिनमें (i) प्रारंभिक मान्यता पर फेयर वैल्यू थ्रू प्रोफिट या लॉस (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को नामित करने में उचित मूल्य विकल्प का उपयोग करने सहित वित्तीय आस्तियां और वित्तीय देयताएं और (ii) विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार वित्तीय आस्तियों की हानि शामिल है।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अलग-अलग बैंकों के लिए विशिष्ट आकार, जटिलता और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप व्यापक प्रत्याशित क्रेडिट हानि पद्धतियां अपनाएं। बैंक यह भी ध्यान रखें कि रिज़र्व बैंक उचित रूप से चर्चा करने और विनिर्दिष्ट विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना की योजना शुरू	1
• भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन	1
• प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए की बिक्री पर होने वाली कमी के परिशोधन की छूट तारीख बढ़ाई गई	2
बासेल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की समीक्षा की गई	2
• वाणिज्यिक पेपरों और यूएफसीई में निवेश की सूचना क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करना	2
• अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरणों पर व्यापक मास्टर निदेश	2
• क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग	2
ऋण प्रबंधन	
• सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड,2015 की ट्रेडिबिलिटी	2
वित्तीय समावेशन और विकास	
• राहत उपायों पर दिशा-निर्देश	3
बैंकिंग पर्यवेक्षण	
• बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा	3
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• परियोजना ऋण के पुनर्वित्त	3
• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एसएसी का प्रारूप	3
• नए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया	4
भुगतान और निपटान प्रणाली	
भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विज़न -2018	

दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, रिजर्व बैंक ने 7 जून 2016 को घोषित अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य,2016-17 में यह निर्णय लिया :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- अनुसूचित बैंकों का नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; और
- आवश्यकता पड़ने पर चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए किंतु प्रणाली में औसत प्रत्याशित चलनिधि कमी को धीरे-धीरे एनडीटीएल के एक प्रतिशत से कम कर तटस्थ दर के पास रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 7.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

दिनांक 9 अगस्त 2016 को तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17 घोषित किया जाएगा।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत हानि की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशित क्रेडिट हानि प्रावधानीकरण पर नीति को अंतिम रूप देगा और इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में प्रणालियां और प्रक्रियाएं तैयार करते समय लचीलापन बनाए रखें।

30 सितंबर 2016 को समाप्त छमाही के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण प्रोफार्मा तैयार करने के प्रयोजन से भारतीय लेखांकन मानकों में अंतरण की सांकेतिक तारीख 1 अप्रैल 2016 (या इसके समकक्ष 31 मार्च 2016 को कारोबार की समाप्ति) कारोबार की शुरुआती तारीख होगी। तथापि, इससे1 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन के लिए अंतरण तारीख में बदलाव नहीं होगा और यह भारतीय लेखांकन मानक 101-भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना-के प्रावधानों के अनुसार होगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10456&Mode=0)

प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए की बिक्री पर होने वाली कमी के परिशोधन की छूट तारीख बढ़ाई गई

रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) को अनर्जक आस्तियों की बिक्री पर कमी के परिशोधन की छूट 31 मार्च 2017 तक बढ़ाई है। तथापि, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक बिक्री की जाने वाली आस्तियों के लिए बैंकों को अनुमति होगी कि वे केवल चार तिमाहियों की अवधि के लिए उस तिमाही से कमी का परिशोधन करें जिसमें बिक्री की गई थी।

इसके अतिरिक्त, जहां बैंक एक से अधिक तिमाहियों में आवश्यक प्रावधान करता है और जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूरा प्रावधानीकरण किया जाना हो, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे विशिष्ट प्रावधानों को क्रेडिट कर वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रावधान किए जाने के लिए बची शेषराशि तक 'अन्य आरक्षित निधियों' को डेबिट करें। तथापि, बैंक डेबिट का 'अन्य आरक्षित निधियों' में अनुपात में प्रत्यावर्तन करें और अगले वित्तीय वर्ष की बाद की तिमाहियों में लाभ और हानि खाते को डेबिट कर प्रावधानीकरण को पूरा करें।

रिज़र्व बैंक ने आगे बैंकों को सूचित किया है कि वे एससीज/आरसीज को एनपीए की बिक्री करने पर कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा और वर्ष के अंत में अन्य निधियों में डेबिट किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा के संबंध में 'लेखों की टिप्पणियों' में उचित प्रकटन करें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10445&Mode=0)

बासेल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की समीक्षा की गई

जुटाए गए ऋण का ब्यौरा देने वाले मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2016 को बैंकों को सूचित किया है कि वे रिज़र्व बैंक को प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत न करें जैसाकि पहले होता था। तथापि, बैंक जुटाए गए ऋण के ब्यौरों की सूचना बैंक के अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित फार्मेट के अनुसार प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को देंगे। बासेल III पूंजी विनियमों के अनुपालन की जांच हमारे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा पर्यवेक्षी मूल्यांकन के समय की जाती रहेगी। तथापि, बैंक अपने रिकार्डों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र और बाह्य विधिक राय प्राप्त करना जारी रखेंगे।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10455&Mode=0)

वाणिज्यिक पेपरों और यूएफसीई में निवेश की सूचना क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करना

(i) वाणिज्यिक पेपरों (सीपी) में बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के निवेश और (ii) बैंकों तथा एआईएफआई के उधारकर्ताओं के असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) से संबंधित सूचना प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने की व्यवहार्यता तथा उसके परिचालन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित और सीआईबीआईएल द्वारा समन्वित क्रेडिट सूचना पर तकनीकी समूह द्वारा गहन जांच करने के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2016 को निर्णय लिया है कि तकनीकी समूह द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुटों को ध्यान में रखते हुए सीपी और यूएफसीई पर सूचना प्राप्त की जाए।

कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों पर सूचना उस बैंक द्वारा सभी चारों क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को मासिक आधार पर रिपोर्ट की जाएगी जिसे विशेष वाणिज्यिक पेपर के निर्गम के लिए जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आईपीए) के रूप में नामित किया गया है। तथापि, यदि एकल सीपी निर्गम के लिए एक से ज्यादा आईपीए हों तो वे उनके पास निर्गम के हिस्से से संबंधित ब्यौरे सीआईसी को रिपोर्ट करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेश करने वाली क्रेडिट संस्थाओं को वाणज्यिक पेपरों पर सूचना की रिपोर्ट सीआईसीज को देने की आवश्यकता नहीं है।

अलग-अलग उधारकर्ताओं के यूएफसीई से संबंधित सूचना उधारदाता बैंक (एकल उधारदाता के मामले में)/समूह उधारदाता (समूह व्यवस्था के मामले में)/सबसे बड़े उधारादाता (बहु उधार व्यवस्था के मामले में) द्वारा तिमाही आधार पर सभी चारों क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट की जाएगी। यह सूचना वाणिज्यिक डेटा फार्मेट के क्रेडिट सुविधा (सीआर) खंड में रिपोर्ट की जाएगी। यह 1 जुलाई 2016 से प्रभावी होगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10459&Mode=0)

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरणों पर व्यापक मास्टर निदेश

रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2016 को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के वित्तीय विवरणों - प्रस्तुतीकरण, प्रकटन और रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर निदेश जारी किए हैं। इन मास्टर निदेशों में तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता का फार्मेट तथा समेकित वित्तीयविवरण तैयार करना, वित्तीय विवरणों - लेखों की टिप्पणियों, समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, निरसन तथा अन्य प्रावधानों का प्रकटन जैसे व्यापक मुद्दों को कवर किया गया है।

ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं जैसे एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी पर दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही से लागू होंगे।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10461&Mode=0)

क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक ने 16 जून 2016 को सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और क्रेडिट सूचना कंपनियों को सूचित किया है कि वे जारी किए जाने वाले मौजूदा सूक्ष्म वित्त डेटा शेयरिंग फाइल फार्मेट में स्वयं सहायता समूह सदस्य स्तर के आंकड़ों को शामिल करें। सूक्ष्म वित्त डेटा फाइल फार्मेट का संशोधित रूप सभी चारों क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 1 जुलाई 2016 से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10449&Mode=0)

ऋण प्रबंधन

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड,2015 की ट्रेडिबिलिटी

रिजर्व बैंक ने 8 जून2016 को, 13 जून,2016 की तारीख घोषित की है जिस तारीख से डीमैट रूप में धारित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (30 नवंबर 2015 को जारी), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37174)

वित्तीय समावेशन और विकास

राहत उपायों पर दिशा-निर्देश

रिजर्व बैंक ने 2 जून को 2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर दिए गए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे क्योंकि अंततः इनका इरादा देश की जनता को लाभ पहुंचाना है न कि किसी भी अजनबी को लाभ। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10433&Mode=0

बैंकिंग पर्यवेक्षण

बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 2 जून 2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि वे तत्काल एक साइबर सुरक्षा नीति बनाए जिसमें कारोबार की जटिलता और जोखिम के स्वीकार्य स्तर के कारण साइबर खतरों से निपटने के लिए उचित दृष्टिकोण वाली कार्यनीति के बारे में बताया जाए और यह उनके बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हो। इस संबंध में पुष्टि साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जांच (सीएसआईटीई) कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र-I, चौथी मंजिल, कफ परेड, मुंबई 400005 को यथाशीघ्र और किसी भी हालत में 30 सितंबर 2016 तक भेजें।

सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह कार्यनीति निम्नलिखित व्यापक पहलुओं को निपटाए:

साइबर सुरक्षा नीति बैंक की व्यापक आईटी नीति/आईएस सुरक्षा नीति से भिन्न होगी

पूरे बैंक के लिए साइबर सुरक्षित वातावरण में योगदान देने की आवश्यकता को सुलझाने के लिए साइबर सुरक्षा नीति व्यापक आईटी नीति/आईएस सुरक्षा नीति से भिन्न और अलग होनी चाहिए जिससे कि यह साइबर खतरों के जोखिमों और इन जोखिमों का समाधान करने/उन्हें कम करने के उपायों पर प्रकाश डाल सके।

आकार, प्रणालियां, प्रौद्योगिकीय जटिलता, डिजीटल उत्पाद, स्टेकधारक और खतरे की धारणा अलग-अलग बैंकों में भिन्न-भिन्न होती है और इसलिए अंतर्निहित जोखिमों और उचित साइबर सुरक्षा ढांचे को अपनाने के लिए लागू नियंत्रण तंत्रों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। अंतर्निहित जोखिमों के स्तर के आधार पर बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने जोखिमों को कम, सामान्य, उच्च और अधिक उच्च या किसी अन्य ऐसे ही श्रेणीकरण के रूप में पहचान करें। अंतर्निहित जोखिमों का आकलन करते समय कारोबारी घटक के जोखिम का भी हिसाब लगाया जाए।

निरंतर निगरानी के लिए व्यवस्था

समय के उचित अंतराल पर कमजोरियों का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि एक एसओसी (सुरक्षा संचालन केन्द्र) की जल्द से जल्द स्थापना की जाए,यदि अभी तक नहीं की गई हो तो।यह भी जरूरी है कि यह केंद्र निरंतर निगरानी सुनिश्चित करता रहे और उभरते हुए साइबर खतरों के नवीनतम प्रकारों से खुद को नियमित रूप से अद्यतन रखें।

आईटी संरचना सुरक्षा के लिए अनुकूल होनी चाहिए

आईटी संरचना को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए ताकि वह हर समय सुरक्षा उपायों को सुविधाजनक बनाने का ख्याल रख सके और बोर्ड की उप समिति द्वारा इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और यदि आवश्यकता हो तो,जोखिम आकलन के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उन्नत किया जाए। जोखिम लागत/संभावित लागत के संतुलन संबंधी निर्णय जो बैंक ले सकता है, को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि बाद में एक उपयुक्त पर्यवेक्षी आकलन को सक्षम किया जा सके।

व्यापक रूप से नेटवर्क और डाटाबेस सुरक्षा का समाधान

यह जरूरी है कि नेटवर्क और डेटाबेस के लिए अनधिकृत पहुँच की अनुमति नहीं है और जहां भी अनुमति दी गई है, ये अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से हो जिनका सदा पालन किया जाता हो। इस तरह के नेटवर्क और डेटाबेस कीजिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए और यह सदा ही बैंक के अधिकारियों पर होनी चाहिए।

ग्राहक जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करना

ऐसे डेटा के मालिकों के रूप में बैंक ग्राहक जानकारी की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता के संरक्षण के लिएउचित कदम उठाएं, चाहे डेटा उनके पास संग्रहित है/पारगमन में हैं या ग्राहकों के साथ या तीसरे पक्ष के वेंडरों के पास हैं, ऐसी अभिरक्षित जानकारी की गोपनीयता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए, डेटा/सूचना जीवन चक्र के लिए बैंकों द्वाराउपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं शुरूकिए जाने की आवश्यकता है।

साइबर संकट प्रबंधन योजना

एक साइबर आपदा प्रबंधन योजना (सीसीएमपी)तुरंत विकसित किया जानी चाहिए और यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र कार्यनीति का एक हिस्सा होना चाहिए।सीसीएमपी कोनिम्न चार पहलुओं को सुलझाना चाहिए - (i)जांच, (ii)प्रतिक्रिया, (iii)वसूली और (iv) रोकथाम। बैंकों को साइबर हमलों को रोकने के लिए और किसी भी साइबर घुसपैठ का पता लगाना के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी जा सके/उसे ठीक किया/रोका जा सके।

इन पहलुओं के अलावा, यह कार्यनीति साइबर सुरक्षा तत्परता संकेतकों, रिजर्व बैंक के साथ साइबर सुरक्षा की घटनाओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान,पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग ढांचा,तत्परता में अंतरालों का तत्काल आकलन जिसे रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना है, स्टेकधारकों/शीर्ष प्रबंधन/बोर्ड के बीच संगठनात्मक व्यवस्था और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता, से संबंधित पहलुओं को निपटाए।

पृष्ठभूमि

बैंकों द्वारा तकनीकी के बढ़ते प्रयोग को ध्यान में रखते हुए और हाल के दिनों में हुए साइबर घटनाओं/ हमलों की संख्या, आवृत्ति और प्रभाव में कई गुना वृद्धि होने के कारण, बैंकों सहित वित्तीय क्षेत्र के मामलों सहित, रिजर्व बैंक ने बैंकों में एक मजबूत साइबर सुरक्षा/ लचीला ढांचा तैयार करने और एक सतत आधार पर बैंकों के बीच पर्याप्त साइबर सुरक्षा तैयारी सुनिश्चित करने का फैसला किया है। बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश के लिए कम बाधाओं, विकसित होती प्रकृति, बढ़ते पैमाने / वेग,प्रोत्साहन और साइबर खतरों की कुशलता को देखते हुए, साइबर जोखिम का पता लगाने के वर्तमान सुरक्षा उपायों में सुधार करते हुए बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रतिकूल घटनाओं / अवरोधों से निपटने के लिए, यदिअगर कभी जब वे होते हैं तो, इनसे निपटने के लिए एक अनुकूलक घटनाप्रतिक्रिया, प्रबंधन और वसूली ढांचा शामिल होगा,लेकिन सीमित नहीं होगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10435&Mode=0)

गैर-बैंकिंग विनियमन

परियोजना ऋण के पुनर्वित्त

रिजर्व बैंक ने 2 जून 2016 को सभी गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया है कि पहले के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्जीवन की रूपरेखा के संदर्भ में परियोजना ऋण के पुनर्वित्त- परियोजना ऋण का पुनर्वित्त, गैर-निष्पादित आस्तियों की बिक्री और अन्य नियामक उपाय पर जारी अनुदेश, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू किए जाएंगे।

तदनुसार, एनबीएफसी किसी भी मौजूदा बुनियादी ढांचे और परियोजना ऋण को, अन्य उधारदाताओं के साथ एक पूर्व निर्धारित समझौते के बिना, अंतरण वित्तपोषण के माध्यम से पुनर्वित्त कर सकते हैं और चुकौती के लिए एक लंबी अवधि तय कर सकते हैं।

मौजूदा परियोजना ऋण जहां सभी संस्थागत उधारदाताओं के कुल जोखिम न्यूनतम ₹1000 करोड़ है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ऐसे ऋण पूर्ण या आंशिक आंतरिक वित्तपोषण के माध्यम से,यहां तक कि अन्य उधारदाताओं के साथ एक पूर्व निर्धारित समझौते के बिना पुनर्वित्त कर सकता हैऔर चुकौती के लिए एक लंबी अवधि तय कर सकते हैं।

ऋणदाता जिसने परियोजना के लिए केवल कार्यशील पूंजी वित्त दिया है उसे दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार परियोजना अवधि ऋण का एक हिस्सा लेने के रूप में' नया ऋणदाता' के रूप में समझा जा सकता है। यह सुविधा मौजूदा परियोजनाऋण की अवधि के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10434&Mode=0)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एसएसी का प्रारूप

रिजर्व बैंक ने 23 जून को 2016 को सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र (सीएसी) के लिए एक समान प्रारूप पेश किया है,जो सभी एनबीएफसी को आवश्यक है कि वे हर साल इसे प्रस्तुत करे कि वे एनबीएफआई के कारोबार को जारी रखेगे ताकि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर)को धारण कर सके।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, जैसाकि कॉसमॉस में लागू हो,एसएसी प्रारूप में जानकारी भरकर, एसएसी में भरी जानकारी स्कैन करना,और उसे कॉसमॉस में अपलोड करना आवश्यक है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10460&Mode=0)

नए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया

नई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की पंजीकरण प्रक्रिया को सहज और परेशानी मुक्त बनाने के लिए नई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो के पंजीकरण के लिए फॉर्म और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची को संशोधित किया गया है। एनबीएफसी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या को संशोधित प्रक्रिया में मौजूदा 45 दस्तावेजों से घटाकर 7-8 कर दिया गया है।

दूसरा, 17 जून 2016 से अब निधियों के स्रोत और ग्राहक इंटरफेस के आधार पर जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) के लिए दो विभिन्न प्रकार के आवेदन होंगे। जो निम्नानुसार हैं:

क) टाइप I - एनबीएफससी-एनडी जो सार्वजनिक निधि स्वीकार नहीं करती हैं/भविष्य में सार्वजनिक निधि स्वीकार नहीं करने का इरादा रखती हैं तथा जिनके पास ग्राहक इंटरफेस नहीं है/भविष्य में ग्राहक इंटरफेस नहीं रखने का इरादा रखती हैं

ख) टाइप II - एनबीएफसी-एनडी जो सार्वजनिक निधि स्वीकार करती हैं/भविष्य में सार्वजनिक निधि स्वीकार करने का इरादा रखती हैं और/अथवा ग्राहक इंटरफेस रखती हैं/भविष्य में ग्राहक इंटरफेस रखने का इरादा रखती हैं

टाइप I - एनबीएफसी-एनडी के मामलों की प्रोसेसिंग के लिए आवेदक तीव्र ट्रैक मोड पर होंगी। चूंकि इन कंपनियों के पास सार्वजनिक निधि की पहुंच नहीं होगी और ग्राहक इंटरफेस नहीं होगा, इसलिए ये कम गहन संवीक्षा करने/सावधानी बरतने के अधीन होंगे। तथापि, टाइप I - एनबीएफसी-एनडी को जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र सशर्त होगा। इन कंपनियों पर सार्वजनिक निधि को एक्सेस करने और ग्राहक इंटरफेस रखने पर पाबंदी होगी। यदि ये कंपनियां सार्वजनिक निधि का लाभ उठाना चाहती हैं या भविष्य में ग्राहक इंटरफेस रखने का इरादा रखती हैं तो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक, गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग से अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।

आवेदन फार्म, टाइप I-एनबीएफसी-एनडी के रूप में पंजीकृत हेतु अपेक्षित दस्तावेज,टाइप II- एनबीएफसी-एनडी के रूप में पंजीकृत हेतु अपेक्षित दस्तावेज (एनबीएफसी-एमएफआई,एनबीएफसी-फेक्टर,एनबीएफसी-आईडीएफ के नए आवेदन सहित) फार्म संशोधित किए गए है और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में अपलोड किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के आनलाइन कॉसमॉस एप्लीकेशन में आवेदन में परिवर्तन किया गया है, सीआईसी-एनडीए-एसआई मामलों को छोड़कर,जहां एक अलग फार्म निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त आवेदन फार्म टाइप I-एनबीएफसी-एनडी और टाइप II-एनबीएफसी-एनडी(एनबीएफसी-एमएफआई,एनबीएफसी-फेक्टर,एनबीएफसी-आईडीएफ सहित) के नए आवेदन के लिए लागू होगें।

आगे, प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के उद्देश्य से नए एनबीएफसी के लिए आवेदन को केंद्रीय कार्यालय, गैर बैंकिंग विनियमन विभाग, मुख्य महाप्रबंधक, गैर बैंकिंग विनियमन विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक,केंद्र-1, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई-400005 को सीधे ही प्रस्तुत करें।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि उल्लेखित जाँच सूची सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं हैं। रिज़र्व बैंक,यदि आवश्यक समझे तो, एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण की मांग करने वाली कंपनी की पात्रता की जांच करने में अपनी संतुष्टि के लिए आगे किसी भी दस्तावेजों की मांग कर सकता है। जांच सूची में उल्लिखित दस्तावेजों की मांग के अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य दस्तावेज मंगाए जाने की स्थिति में आवेदक कंपनी को निर्धारित एक माह के भीतर ही जवाब देना है।

पृष्ठभूमि

यह स्मरण होगा कि पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य-2016-17, में कहा गया था कि नए एनबीएफसी के पंजीकरण की प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए एनबीएफसी के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत किया जाए। नया आवेदन फार्म सरल होगा और इसमें प्रस्तुत किए जानेवाले आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को भी कम किया जाएगा।(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37253)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता

भारत सरकार के स्टार्ट-अप पहल के अनुरूप, रिजर्व बैंक ने 23 जून 2016 को यह निर्णय किया किएक भारतीय स्टार्टअप, जिसकी एक विदेशी सहायक कंपनी हो,वह भारत से बाहर बैंक में खाता खोल सकता है जिसका प्रयोजन उक्त स्टार्ट-अप या उसकी विदेशी सहायक कंपनी द्वारा किए गए निर्यात/बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा को खाते में जमा किया जा सके।ऐसे खातों में बकाया शेष,इस हद तक हो कि वे भारत से निर्यात दिखला सके, जिसे निर्यात की प्राप्ति के लिए निर्धारित अवधि के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

इसके अलावा, भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा जो स्टार्ट-अप या उसकी विदेशी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए बिक्री/निर्यात द्वारा प्राप्त हुई है, को स्टार्ट-अप द्वारा भारत में रखे गए मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) में क्रेडिट करने की अनुमति दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा इनकी सहायक संस्थाओं के पास उपलब्ध उनके द्वारा किए जाने वाले बीमा कारोबार के लिए आकस्मिक व्यय को पूरा करने के प्रयोजन से भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाते खोलने की मौजूदा सुविधा को अब उदारीकृत बनाया गया है। तदनुसार, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से पंजीकृत कोई भी बीमा/पुनर्बीमा कंपनी अपने बीमा/पुनर्बीमा कारोबार करने के लिए भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10457&Mode=0)

भारतीय निवासियों द्वारा अनुबंधित निवेश जोखिम

ओवर द काउंटर (ओटीसी) मुद्रा विकल्प बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहित करने और इसकी चलनिधि में सुधार करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 23 जून 2016 को माल और सेवाओं के निवासी निर्यातकों और आयातकों को स्टैंडअलोन सादे यूरोपीय कॉल की बिक्री और उनके अनुबंधित जोखिम के विरूद्ध विकल्प अनुबंध अर्थात परिचालन के दिशा- निर्देशों के अधीन भारत के किसी भी एडी श्रेणी-I के लिए क्रमशः कवर कॉल और कवर पुट की अनुमति दी है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विज़न - 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2016 को अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर ''भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विज़न-2018'' उपलब्ध कराया है। विज़न-2018 का लक्ष्य 'कम-नकदी' भारत के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणालियों का निर्माण करना है।

विज़न-2018 की व्यापक रूपरेखा इन पांच बिंदुओं - कवरेज, सुविधा, विश्वास, अभिसरण और लागत के ईर्द-गिर्द घुमती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए विज़न-2018 चार कार्यनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनमें उत्तरदायी विनियमन, मजबूत बुनियादी सुविधाएं, प्रभावी पर्यवेक्षण और ग्राहक केंद्रीयता शामिल हैं।

परामर्शी दृष्टिकोण पर आधारित विनियामकीय ढांचे का लक्ष्य अंतिम उपयोगकर्ताओं की सुविधा के साथ भुगतान प्रणालियों की संवर्धित कवरेज हासिल करना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मजबूत भुगतान बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करना है जो पहुंच, उपलब्धता, पारस्परिकता और सुरक्षा बढ़ाएगी। निगरानी और पर्यवेक्षी ढांचा देश में छोटे मूल्य और खुदरा भुगतान प्रणालियों के लचीलेपन को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। परिकल्पित ग्राहक केंद्रित पहलों में ग्राहक शिकायत समाधान व्यवस्था को सरल बनाना और ग्राहक जागरूकता तथा शिक्षण का निर्माण करना शामिल है।

प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेष भुगतान उत्पादों के बढ़ते उपयोग के साथ विज़न-2018 के अंतर्गत कार्यनीतिक पहलों से पेपर आधारित लिखतों के काफी कम होने और मोबाइल बैंकिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की अन्य पद्धतियों में त्वरित वृद्धि होने की संभावना है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37308)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**